"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015— वैशाख 4, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक 3715/डी. 140/21-अ/प्रारू./छ.ग./ 15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 20-04-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची के भाग-एक (पुनरीक्षित) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में, शब्द "रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुन्द एवं धमतरी" के स्थान पर, शब्द "रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद एवं बलौदा-बाजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र."

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम का क्रियान्वयन.

4. समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के पूर्व, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रवृत्त हों, वे दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक 3715/डी. 140/21-अ/प्रारू./छ.ग./ 15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 16 of 2015)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattistgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Part-I (Revised) of the Second Schedule.

2. In entries of column (4) of serial number 1 of Part-I (Revised) of the Second Schedule of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), (hereinafter referrd to as the Principal Act), for the words "Raipur, Durg, Rajnandgaon, Kabirdham, Mahasamund and Dhamtari", the words "Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Gariaband and Baloda-Bazar" shall be substituted.

Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule.

3. After serial number 3 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Principal Act, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Durg Vishwavidyalaya, Durg.	Durg	Areas comprised within the limits of the revenue Districts of Durg, Balod, Bemetera, Rajnandgaon and Kabirdham."

Implementation of Statutes, Ordinances and Regulations.

4. All the Statutes, Ordinances, Regulations in force before the commencement of the Chhattisgarh Viswavidyalaya (Sanshodan) Adhiniyam, 2015 in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur shall be deemed as Statutes, Ordinances, Regulations of Durg Vishwavidyalaya, Durg.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.